न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

पीठासीन अधिकारी–मनोज कुमार(आर0ए0एस0)

अपील संख्या– 2021/98

1. द्वारका बाई पत्नी विष्णु पुत्री स्व. रामकिशन जी जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम जखाणा जिला बून्दी(राज0)।
2. मोहनी बाई पत्नी रमेश चंद पुत्री स्व. रामकिशन जी जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम बालदड़ा तहसील केशवरायपाटन जिला बून्दी(राज0)।
3. जगदीश पुत्र स्व. रामकिशन जी जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम बालदड़ा तहसील केशवरायपाटन जिला बून्दी(राज0)।
4. गिरीराज पुत्र स्व. रामकिशन जी जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम बालदड़ा तहसील केशवरायपाटन जिला बून्दी(राज0)।
5. बिहारी लाल पुत्र स्व. रामकिशन जी जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम बालदड़ा तहसील केशवरायपाटन जिला बून्दी(राज0)।

– अपीलांटगण

बनाम

1. रामदेव पुत्र औंकार जाति मेघवाल निवासी ग्राम बालदड़ा हाल निवासी रंगपुर तहसील लाडपुरा जिला कोटा(राज0)।
2. कालू पुत्र औंकार जाति मेघवाल निवासी ग्राम बालदड़ा हाल निवासी रंगपुर तहसील लाडपुरा जिला कोटा(राज0)।
3. मोडू पुत्र धन्ना जाति मेघवाल निवासी ग्राम बालदड़ा हाल निवासी रंगपुर तहसील लाडपुरा जिला कोटा(राज0)।
4. देवा पुत्र शंकर जाति मेघवाल निवासी ग्राम बालदड़ा हाल निवासी रंगपुर तहसील लाडपुरा जिला कोटा(राज0)।
5. रामधणी बेवा द्वारका लाल पुत्री स्व. रामकिशन जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम नागदा, तहसील श्योपुर(म0प्र0)।
6. सुशीला पत्नी अंजनी कुमार पुत्री स्व. रामकिशन जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम नागदा, तहसील श्योपुर(म0प्र0)।

–रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहस– (1). महेश शर्मा– अधिवक्ता अपीलांट

निर्णय दिनांक 22.09.2023

1. अपीलांट द्वारा उक्त अपील अतंर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केशवरायपाटन जिला बून्दी के प्रकरण संख्या 161/2004 में पारित निर्णय व डिकी दिनांक 24.02.2021 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 4 व अन्य ने अधीनस्थ न्यायालय मे वादपत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादीगण ने यह वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183.188 आर.टी. एक्ट का दिनांक: 13.10.2004 को पेश किया किया कि वादीगण के संयुक्त खाते एवं कब्जे की आराजी खसरा संख्या 63 रकबा 10 विस्वा शासरा संख्या 75 रकबा 6 बिस्वा, खसरा संख्या 264 रकबा 6 बीघा 15 विस्वा व खसरा संख्या 346 रकवा 3 बीघा 2 बिस्वा किता 4 कुल रकबा 11 बीघा 14 बिस्वा तथा खसरा संख्या 345 के नये खसरा नं. 641 रकबा 0.50 हैक्टर जो वाके ग्राम में माल बालदडा तहसील के० पाटन जिला बून्दी राज में स्थित है जमाबन्दी 2043 से 2046 व मिलान क्षेत्रफल 1995 से 2015 पेश है। खसरा संख्या 346 के नये खसरा नं. 641 रकबा 0.50 हैक्टेयर में वादीगण का संयुक्त हिस्सा निहित है। उक्त आराजी वादीगण ने प्रतिवादी नं. 1 को पांती काश्त पर दी थी तथा हर वर्ष प्रतिवादी कम 1 द्वारा आराजी की पांती वादीगण को दी जाती रही। प्रतिवादी कम 1 रामकिशन उक्त आराजी को पांती पर करता रहा और उसका मुनाफा वादीगण को देता रहा। प्रतिवादी कम 1 द्वारा वर्ष 2002–03 की पाती का मुनाफा वादीगण को प्रदान नहीं करने पर वादीगण द्वारा उक्त आराजी से कब्जा छोड़ने के लिए प्रतिवादी कम 1 से कहा गया किन्तु प्रतिवादी कम 1 द्वारा वादीगण को उक्त आराजी से कब्जा छोड़ने से स्पष्ट इन्कार कर दिया इसलिए उक्त बाद पेश करना आवश्यक हो गया। प्रतिवादी क्रम 1 स्वर्ण जाति के ताकतवर सरजीर व्यक्ति है तथा वादीगण अनुसूचित जाति गरीब सदस्य है तथा उनके पास उक्त आराजी ही आजीविका का एक मात्र साधन है प्रतिवादी कम 1 द्वारा वादीगण की आराजी पर अवैध रूप से कब्जा करके वादीगण को उक्त आराजी से बेदखल कर दिया है जिसका की उनको कोई अधिकार प्राप्त नही है और प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा यह कहने पर कि उक्त आराजी हमारी है और हमारा उक्त आराजी पर कब्जा है। वादीगण जब उक्त आराजी की हंकाई जुताई के लिए दिनांक 10.10.2004 को ग्राम बालदडा में गये तो प्रतिवादी कम 1 व उसके लडके वादीगण के आडे फिर गये और गाली गलौच की व जातिगत शब्दो से अपमानित जनक जाति–सूचक शब्दो का प्रयोग किया और मारने

पीटने पर उतारू हो गये। वादीगण 1 लगायत 5 अनुसूचित जाति के सदस्य है तथा प्रतिवादी कम 1 स्वर्ण जाति का सदस्य है जो उक्त आराजी को नही रख सकता है क्योंकि धारा 42 राज०टी०एक्ट के तहत नियम विरुद्ध है। अन्त में प्रार्थना की गई कि बाद पत्र के पैरा सं. 2 में वर्णित आराजी खसरा नं. 641 रकबा 0.50 हैक्टर वाके ग्राम व माल बालदडा तहसील के० पाटन से प्रतिवादी कम 1 को बेदखल कर कब्जा वादीगण को दिलाया जाये।

3. उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। दिनांक 24.02.2021 को वादीगण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को विवादित भूमि खसरा नम्बर 641 रकबा 0.50 हैक्टेयर वाके ग्राम बालदड़ा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी का कब्जा छोड़ देने हेतु आदेशित किया तथा प्रतिवादीगण उक्त कृषि भूमि से कब्जा नहीं छोड़ते है तो तहसीलदार के0पाटन को आदेशित किया कि मौके से प्रतिवादीगण को बेदखल कर वादीगण को कब्जा सम्भलाये जाने हेतु आदेशित किया।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.02.2021 से असंतुष्ट होकर अपीलांटगण प्रतिवादीगण ने प्रथम अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 6 को जारी रजिस्टर्ड एडी सम्मन नोटिस को एक माह से अधिक का समय हो जाने से तामील होना माना गया। रेस्पोडेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। रेस्पोडेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की एकतरफा बहस सुनी गई।

5. दौराने बहस अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मेमो मे अंकित तथ्यो को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण द्वारा धारा 183, 188 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के अन्तर्गत वाद पेश किया कि ग्राम बालदड़ा तहसील केशवराय पाटन, जिला बूदी में स्थित खसरा न 641 रकबा 0.50 हैक्टर में वादीगण का सयुक्त हिस्सा निहित है। उक्त आराजी वादीगण ने प्रतिवादी न 1 को पाती काश्त पर दी थी तथा हर वर्ष प्रतिवादी न । द्वारा आराजी की पाती वादीगण को दी जाती रही। प्रतिवादी न 1 द्वारा वर्ष 2002–03 की पांती का मुनाफा वादीगण को प्रदान नहीं करने पर वादीगण द्वारा उक्त आराजी से कब्जा छोड़ने के लिए प्रतिवादी नं. 1 से कहा गया किन्तु प्रतिवादी न 1 द्वारा वादीगण को उक्त आराजी से कब्जा छोड़ने से इन्कार कर दिया. इसलिए वाद पेश करना आवश्यक हो गया। वादीगण ने न्ययालय से प्रार्थना की कि आराजी खसरा नं. 641 रकबा 0.50 हैक्टर वाके ग्राम बालबड़ा तहसील केशवराय पाटन जिला बून्दी से प्रतिवादी नं. 1 को

बेदखल कर कब्जा वादीगण को दिलाया जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई वादीगण ने मौखिक साक्ष्य में पी डब्ल्यू 1 रामदेव का शपथपत्र पेश किया तथा एक तरफा बहस सुनकर वादीगण का वाद दिनाक 24.02.2021 को डिक्री कर दिया गया। वादीगण ने उनके पक्ष में निर्णय होने के पश्चात गांव में आकर कहा कि हमारे पक्ष में निर्णय हो गया है तथा जल्दी ही कब्जा लेने वाले है अपीलांट संख्या 3, 4, 5 ने केशवरायपाटन जाकर वकील साहब से सम्पर्क कर पता करवाया तथा दिनांक 25.03.2021 को नकल प्राप्त करने हेतु वकील साहब ने प्रार्थना पत्र दिया तथा दिनांक 01.04.2021 को नकल प्राप्त की तत्पश्चात अपील पेश करने के लिए कोटा में वकील साहब से सम्पर्क कर निम्न कारणों से अपील प्रस्तुत है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री न्याय, कानून एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण का वाद प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकतरफा निर्णित करके त्रुटि की है। अपीलांट्स को अधीनस्थ न्यायालय ने सुनवाई का अवसर प्रदान नही करके त्रुटि की है। प्रतिवादी न. 1 रामकिशन जी के विरूद्ध वाद प्रस्तुत होना जाहिर होता है परन्तु रामकिशन जी की मृत्यु हो जाने के पश्चात उनके समस्त उत्तराधिकारियों को बतौर कायम मुकामान पक्षकार भी नहीं बनाया गया है, जबकि प्रतिवादी स्व. रामकिशन जी के द्वारका बाई. रामधणी, सुशीला एवं मोहनी पुत्रियाँ मौजूद है। इस प्रकार प्रकरण में आवश्यक पक्षकारों को कायम मुकाम नहीं बनाये जाने के कारण अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय कानूनन निरस्त होने योग्य है। वादीगण ने प्रतिवादीगण को वादग्रस्त भूमि पर पांती काश्त के आधार पर काबिज अंकित किया है, जबकि प्रतिवादी रामकिशन को उक्त भूमि वादी रामदेव ने बेचान की हुई थी। इसलिए रामदेव उक्त भूमि पर अपना क्लेम करने से एस्टोप्ड है। वादीगण का वाद अवधि बाधित होने से निरस्त होने योग्य है. क्योंकि रामदेव ने वादग्रस्त भूमि को प्रतिवादी रामकिशन को 1200 /– रूपये में सन् 1973 में ही बेचान कर कर दिया था। अपीलांट नं 1 व 2 तथा रेस्पोडेन्ट नं 6 व 7 प्रतिवादी स्व. रामकिशन जी की पुत्रियाँ है। अन्त में अपील अपीलांट्स स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 24.02.2021 निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

6. हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की एकतरफा बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली व रेकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया। न्यायालय हाजा के समक्ष अधिवक्ता अपीलांट का मुख्य तर्क रहा है कि प्रश्नगत भूमि पर वादीगण ने भी हमारा कब्जा माना है चाहे पांती के आधार पर माना तथा प्रतिवादी रामकिशन की लड़कियों द्वारका बाई, रामधणी, सुशीला एवं मोहनी आदि को पक्षकार नहीं बनाया गया। परंतु हमारे मत में अपील के स्तर पर प्रतिवादी अपीलांट का यह कथन उचित नहीं है कि रामकिशन की लड़कियों को पक्षकार नहीं बनाया क्योंकि दौराने वाद प्रतिवादी यह सूचना अथवा आपत्ति अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उठा सकते थे। परन्तु ऐसा

प्रतीत होता है कि प्रतिवादी अपीलांट ने जानबूझकर अधीनस्थ न्यायालय में यह आपत्ति नहीं उठाई। जहाँ तक विवादित भूमि पर कब्जे का प्रश्न है तो यह विधि का स्थापित सिद्धान्त है कि कब्जाविधि अनुसार होना चाहिए। केवल मौखिक विकय के कथन के आधार पर अपीलांट प्रतिवादी का प्रश्नगत भूमि पर कोई हक अधिकार उत्पन्न नहीं होता। प्रस्तुत प्रकरण में वादी अनुसूचित जाति से सम्बंधित है तथा प्रतिवादी अपीलांट सवर्ण जाति से है, अतः इनके बीच राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रकाश में खातेदारी की कृषि भूमि का किसी प्रकार का हस्तांतरण संभव नहीं है। अधिवक्ता अपीलांट हमारे समक्ष ऐसा कोई दस्तावेज सा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाया जिससे उक्त प्रश्नगत भूमि को विधि अनुसार उसके द्वारा क्रय किया जाना सिद्ध होता हो। केवल मौखिक रूप से 1200/– रूपये मे भूमि खरीदने के तथ्य के आधार पर अपीलांटगण प्रतिवादीगण प्रश्नगत भूमि में खातेदार नहीं बन सकते। हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.02.2021 से सहमत है तथा इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने योग्य है।

7. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केशवरायपाटन जिला बून्दी के प्रकरण संख्या 161/2004 में पारित निर्णय व डिकी दिनांक 24.02.2021 यथावत रखा जाता है।

8. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटाई जावे।

9. निर्णय आज दिनांक 22.09.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

Judl/Govt.
Parrt 1V - B

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास मनोज कुमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या – 2021/98

1. द्वारका बाई पत्नी विष्णु पुत्री स्व. रामकिशन जी जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम जखाणा जिला बून्दी (राज0)।
2. मेहनी बाई पत्नी रमेश चंद पुत्री स्व. रामकिशन जी जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम बालदड़ा तहसील केशवरायपाटन जिला बून्दी (राज0)।
3. जगदीश पुत्र स्व. रामकिशन जी जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम बालदडा तहसील केशवरायपाटन जिला बून्दी (राज0)।
4. गिरिराज पुत्र स्व. रामकिशन जी जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम बालदडा तहसील केशवरायपाटन जिला बून्दी (राज0)।
5. बिहारी लाल पुत्र स्व. रामकिशन जी जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम बालदडा तहसील केशवरायपाटन जिला बून्दी (राज0)।

– अपीलान्टगण

बनाम

1. रामदेव पुत्र औंकार जाति मेघवाल निवासी ग्राम बालदड़ा हाल निवासी रंगपुर तहसील लाडपुरा जिला कोटा(राज0)।
2. कालू पुत्र औंकार जाति मेघवाल निवासी ग्राम बालदड़ा हाल निवासी रंगपुर तहसील लाडपुरा जिला कोटा(राज0)।
3. मोडू पुत्र धन्ना जाति मेघवाल निवासी ग्राम बालदड़ा हाल निवासी रंगपुर तहसील लाडपुरा जिला कोटा(राज0)।
4. देवा पुत्र शंकर जाति मेघवाल निवासी ग्राम बालदड़ा हाल निवासी रंगपुर तहसील लाडपुरा जिला कोटा(राज0)।
5. रामधणी बेवा द्वारका लाल पुत्री स्व. रामकिशन जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम नागदा, तहसील श्योपुर(म0 प्र0)।
6. सुशीला पत्नी अंजनी कुमार पुत्री स्व. रामकिशन जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम नागदा, तहसील श्योपुर(म0 प्र0)।

– रेस्पोडेन्ट

वाद पत्र संख्याः 161/2004

1. रामदेव पिसरान औंकार जाति मेघवाल (बलाई) निवासी बालदड़ा हाल निवास रंगपुर तहसील लाड़पुरा जिला कोटा (राज0)।
2. कालू पिसरान औंकार जाति मेघवाल (बलाई) निवासी बालदड़ा हाल निवास रंगपुर तहसील लाड़पुरा जिला कोटा (राज0)।
3. हीरा बाई बेवा रामनारायण जाति मेघवाल (बलाई) निवासी बालदड़ा हाल निवासी सकतपुरा कोटा राज0
4. मोडू आ0 श्री धन्ना जाति मेघवाल (बलाई) निवासी बालदड़ा हाल निवास नयाखेड़ा तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज0
5. देवा आ0 शंकरलाल जाति मेघवाल (बलाई) निवासी बालदड़ा हाल निवासी नान्ता तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज0

– वादीगण

बनाम

1. रामकिशन आ0 श्री गेन्दीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी बालदडा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज0 .. .. मृतक जर्ये कायम मुकामान
   1/1. बिहारीलाल पिसरान रामकिशन जाति ब्राहम्ण निवासी बालदड़ा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज0
   1/2. जगदीश पिसरान रामकिशन जाति ब्राहम्ण निवासी बालदड़ा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज0
   1/3. गिरीराज पिसरान रामकिशन जाति ब्राहम्ण निवासी बालदड़ा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज0

–प्रतिवादीगण

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद पत्र संख्या 161/2004 में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केशवरायपाटन, जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24.02.2021** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. उक्त अपील तारीख 22.09.2023 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से विद्वान् अभिभाषक श्री महेश शर्मा, के उपस्थित होने पर यह आदेश दिया कि अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केशवरायपाटन, जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24.02.2021 बहाल रखा जाता है।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

4. यह डिक्री आज तारीख 22.09.2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा